

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 25 अक्टूबर, 2016

का.आ. (अ)--केंद्रीय सरकार, बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 2016 (2016 का 43) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवंबर, 2016 उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

[अधिसूचना सं.98/2016 फा.सं. 149/144/2015-टीपीएल(भाग-2)]



(प्रवीण रावल)

निदेशक (कर नीति और विधान)